प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'पांच'
[26/6/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 624]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 जून 2017—ज्येष्ठ 22, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2017

क्र. एफ 24-06-2017-एक 10.—यत:, जिला मंदसौर में दिनांक 6 जून 2017 को आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किये जाने से 05 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना घटित हुई है.

(2) और, यत:, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच किये जाने के प्रयोजन के लिये जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है :—

(एक) उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी?

(दो) क्या पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया क्या वह घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था या नहीं? यदि नहीं तो इसके लिये दोषी कौन है?

(तीन) क्या जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तत्समय निर्मित परिस्थितियों और घटनाओं के लिये पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठाये थे?

(चार) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में यथोचित सुझाव.

(पांच) ऐसे अन्य विषय जो जांच के अधीन मामले में आवश्यक या आनुषांगिक हों?

(3) अतएव, राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जे. के. जैन, की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच करने हेतु नियुक्त करता है.

(4) आयोग का मुख्यालय इंदौर रहेगा.

(5) आयोग, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (क्र—10)

☆ R No-624

क्र. एफ 24-06-2017-एक 10.—यत:, राज्य सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबन्धों को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 24-06-2017-एक-10, दिनांक 12 जून 2017 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए.

अतएव, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2); (4) तथा (5) के समस्त उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे.

No. F-24-06-2017-One 10.—(1) WHEREAS, on 6 June 2017 at District Mandsaur due to use of force during spread of violence in agitation by agitators, incident of death of 5 persons has occurred;

(2) And WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of Inquiry into the following matters of public interest, namely :—

(1) Circumstances under which that incident took place?

(2) Whether the force used by police was reasonable under prevailing circumstances or not? if not who was respobsible for this?

(3) Whether district administration and police administration has taken timely and appropriate steps during the prevailing circumstances and incident?

(4) Suggestion to stop repetition of such incident in future.

(5) Such other matters which are incidental to inquiry.

(3) Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No 60 of 1952), the State Government hereby appoints a Commission of Inquiry, consisting of a single member namely Shri J. K. Jain, retired High Court Judge to Inquire into the aforesaid matters of public importance.

(4) The Headquarters of Commission shall be at Indore, Madhya Pradesh.

(5) The Commission shall complete its Inquiry and submits its report to the State Government within 3 months from the date of publication of this notification.

No. F-24-06-2017-One 10.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that, having regard to the nature of Inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the Commission under this department's Notification F 24-06-2017-one-10, dated 12th June 2017;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said Act, the State Government, hereby, directs that all the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of the said Act shall apply to the said Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (क्रम-10)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.